राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद पत्र संख्या– 16/2019

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

दायर दिनांकः–11.07.2019

1. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
2. जेठमल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
3. नाबालिग छोटी पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
4. नाबालिग जितेन्द्र पुत्र लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
5. नाबालिग नेराज पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
6. नाबालिग बाउदेवी पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
7. नाबालिग सजनादेवी पुत्री लादूराम संरक्षक सरपरस्त पिता लादूराम जाति जाट, निवासी किरडोलीया की ढाणी, जाजोता, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।

—वादीगण

बनाम

1. मोहन पुत्र भैंरु जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
2. रामलाल पुत्र भैंरु जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
3. भंवरलाल पुत्र भैंरु जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
4. निजामखां पुत्र एतबारखां जाति मुसलमान, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
5. नाथी पत्नि एतबारखां जाति मुसलमान, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
6. रसीद पुत्र शफीखां जाति मुसलमान, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
7. कनक्यादेवी पत्नि रामेश्वर, जाति जाट निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
8. केलम पत्नि छगनलाल, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
9. घनश्याम पुत्र हनुमान, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
10. झनकारी पत्नि हनुमान, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
11. बंशी पुत्र हनुमान, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
12. सुरेश पुत्र छगनलाल, जाति बावरी, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
13. केलकी पुत्री श्रवण जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
14. नाबालिग जयप्रकाश पुत्र सीताराम संरक्षक सरपरस्त माता संतोष जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
15. रामेश्वरी पुत्री श्रवण जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
16. संतोष पत्नि सीताराम जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
17. सीतादेवी पुत्री श्रवण जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
18. नाबालिग सीमा पुत्री सीताराम संरक्षक सरपरस्त माता संतोष जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।
19. नाबालिग हेमलता पुत्री सीताराम संरक्षक सरपरस्त माता संतोष जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रुपनगढ, जिला अजमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.06.30 17:10:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ, अजमेर)

...म पुत्र श्रवण जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
...देवी पत्नि जेठमल जाति जाट, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
...क्ष्मण पुत्र भैंरु जाति बलाई, निवासी पनेर, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।
...राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

...पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 एवं धारा 111, 128 राजस्थान भू–राज0 अधिनियम

निर्णय

दिनांक–28.04.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पनेर में खाता संख्या नया 377 के खसरा नम्बर 710/257 रकबा 0.7119 है0 खसरा नम्बर 264 रकबा 3.0337 है0 अवस्थित है जिसमें वादीगण का हिस्सा राजस्व जमाबंदी में अन्तर्निहित है। उक्त संपूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण के नाम संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण की उक्त भूमि में अन्य किसी का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा या दखल नहीं है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद वादीगण व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो, भूमि की बुवाई, जुताई, बिजाई, निराई, गुडाई, जोत करने को लेकर बाधा एवं रुकावट पैदा ना हो इसलिए वादीगण की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगडी किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 12, 14, 16 व 18 से 23 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 13, 15 व 17 के सम्मन अदमतामिल प्राप्त हुये। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 13, 15 व 17 उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण डिलीट (हटाने) करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 13, 15 व 17 को प्रकरण से डिलीट करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 22 में से किसी ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 23 (तहसीलदार रुपनगढ) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पनेर की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 377 में खसरा नम्बर 264 रकबा 3.0337 है0 व खसरा नम्बर 710/257 रकबा 0.7119 है0 भूमि वादी संख्या 1 से 7 के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादीगण को वाद अधीन भूमि की पत्थरगडी करवायी जाती है तो प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया। तद्नुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 710/257 रकबा 0.7119 है0 एवं खसरा नम्बर 264 रकबा 3.0337 है0 भूमि की पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 22, ... के सदस्य, एजेन्ट को वादीगण के काश्त करने में बाधा नहीं पहुंचाने, राजस्व रिकॉर्ड व मौ... की ...परिस्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.06.30 17:10:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)